SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

	IN THE COOK!	Jr A.K. Gupta, JWIFG			
Case No. 2.02	147	Complai	nt or report madeon		
Name and address	of the Complaina	nt	. It		
······		entries afternoon		3	
		707			
	Name 1	parentage, caste and add	dress of accused		* 4
1	1-01- =	-1/-1/			
7	14210 210	SITE VHON	(91)	9	ş .
To.	- 92101	SIATE Ation	पीकी क्रेना		
			_		11 ×
	e Pr		, a		in and and and and and and and and and an
A	The offence com	plainant of, and date o	f, its alleged commis	sion	*
The same product assumes that the second			~ 1.8	110	7,
अ	ाप पर आर	रोंप है कि	दिनांक 🖄 1.0	11/5	मुकाम
SAM	नयां के।	रोप है कि 1<u>1</u>9/	पर बिना वैध	अनुज्ञप्ति के	अपने
आधिपत्य गें	· लीटर/प	पाव / बोतल 🙎 🗸 🧢	गराब विकथ / पारवह	हन हतु रखा।	
ç,	सा करके आपने अ	भावकारी अधि० 1915	की धारा 34-1 (क) के अधीन दण	डनीय
अपराध कारित वि	44.19				v «
	क्या आपको	उक्त अपराध स्वीकार	है या प्रतिरक्षा चाहुर	ते हो।	
				W K	~ >
X.				- Page 41	क्रिया
18, 11		of the accused and his e		नार्थिक मंजिल्ट	<mark>र प्रथम स</mark> णी
अपराध स्वीकार है	ा यून दण्ड से दण्	खत करने का निवेदन			1
					M 11 (8)

नियंत व्यापार

(आज दिनांक 4) । । । वो घोषित)

- 01. <u>अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1</u> (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट प्रर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आवकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की संजा एवं रूपये कि सब्दों में स्वाहित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर का साधारण कारावास की संजा भुगतायी जावे।